

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा दिनांक 15.07.2023 को भारी पानी बोर्ड, मुंबई का राजभाषा विषयक निरीक्षण की रिपोर्ट

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा दिनांक 15.07.2023 को भारी पानी बोर्ड, मुंबई का राजभाषा विषयक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्यालय मुंबई कार्यालय द्वारा प्रस्तुत संसदीय प्रश्नावली के विभिन्न मदों पर माननीय समिति के कार्यकारी संयोजक और सदस्यगण द्वारा चर्चा की गई और महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। बैठक के दौरान संसदीय राजभाषा समिति और निरीक्षित कार्यालय की ओर से निम्नलिखित पदाधिकारियों ने भाग लिया :

| माननीय समिति सदस्य एवं सचिवालय के अधिकारियों की सूची | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. | श्री रामचंद्र जांगड़ा, संसद सदस्य (राज्यसभा) | संयोजक |
| 2. | श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य (लोकसभा) | सदस्य |
| 3. | श्री श्याम सिंह यादव, संसद सदस्य (लोकसभा) | सदस्य |
| 4. | श्री ईरण्ण कड़ाडी, संसद सदस्य (राज्यसभा) | सदस्य |
| 5. | श्री सुजीत कुमार, संसद सदस्य (राज्यसभा) | सदस्य |
| 6. | श्री मुकेश कुमार | समिति सहायक |
| 7. | श्री इरफान अहमद खान | वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी |
| 8. | श्री विक्रान्त भाटिया | अनुभाग अधिकारी |
| 9. | श्री सहदेव सिंह | रिपोर्टर |

| भारी पानी बोर्ड की ओर से उपस्थित अधिकारियों की सूची | | |
|---|---------------------------|--|
| 1. | श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव | अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी |
| 2. | श्री संजय कुमार | संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), पऊवि, मुंबई |
| 3. | श्री वी.वी.एस.ए. प्रसाद | निदेशक (प्रचालन), भारी पानी बोर्ड, मुंबई |
| 4. | श्री मोहम्मद यासीन | निदेशक (तकनीकी), भारी पानी बोर्ड, मुंबई |
| 5. | श्री के. स्वामीनाथन | मुख्य प्रशासन अधिकारी, भारी पानी बोर्ड, मुंबई |
| 6. | श्री अचलेश्वर सिंह | संयुक्त निदेशक (राजभाषा), पऊवि, मुंबई |
| 7. | श्री सैयद मासूम रज़ा | उप निदेशक (राजभाषा), परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई |
| 8. | श्री भास्करानंद झा | उप निदेशक (राजभाषा), भारी पानी बोर्ड, मुंबई |

ग्रैंड हयात होटेल, सांताक्रुझ में आयोजित निरीक्षण बैठक के प्रारंभ में भारी पानी बोर्ड, मुंबई के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा बैठक में पऊवि, मुंबई एवं भारी पानी बोर्ड, मुंबई की ओर से भाग ले रहे सभी अधिकारियों का समिति से परिचय करवाया गया।



निरीक्षण बैठक में भाग लेते हुए भापाबो / पऊवि के वरिष्ठ अधिकारीगण

तत्पश्चात मुख्य कार्यकारी महोदय ने समिति की अनुमति से भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय) में की जा रही वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियों के साथ-साथ राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा पावरपॉइंट के माध्यम से समिति के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने राजभाषा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं प्रयासों से सभी समिति को अवगत कराया। उन्होंने देश के विकास में भारी पानी के अनुप्रयोग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग के योगदानों को भी रेखांकित किया।



संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति के संयोजक से प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए भापाबो के मुख्य कार्यकारी एवं अन्य अधिकारीगण

बैठक में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों के परिचय के बाद माननीय समिति संयोजक और सदस्यों द्वारा प्रश्नावली के विभिन्न मद्दों और कार्यालय में राजभाषा क्रियान्वयन के विभिन्न मद्दों पर चर्चा की गई। माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नावली में निहित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मुख्यालय में किये जा रहे प्रयासों की सराहना की और इन प्रयासों की और इन प्रयासों को भविष्य में जारी रखने का सुझाव दिया। माननीय संयोजक द्वारा 'ध्यान देने योग्य बातें' परिशिष्ट मुख्य कार्यकारी महोदय को दिया गया।

अंत में मुख्य कार्यकारी महोदय ने समिति के संयोजक एवं सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया और माननीय समिति के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए उन्हें आश्चस्त किया कि भारी पानी बोर्ड में समिति द्वारा प्राप्त सभी निर्देशों और सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



भापाबो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में सांसद सदस्यों को भापाबो उत्पादों की जानकारी देते हुए मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक (प्रचालन)

इस कार्यक्रम के दौरान बोर्ड द्वारा हिंदी में किए गए उत्कृष्ट कार्यों एवं भारी पानी बोर्ड की उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसका माननीय संसदीय समिति के सदस्यों ने बड़े उत्साह से अवलोकन किया। समिति सदस्यों द्वारा इसकी प्रशंसा की गई।



प्रदर्शनी में भापाबो उत्पादों की जानकारी देते हुए मुख्य कार्यकारी

निरीक्षण के दौरान समिति के माननीय सदस्यों से प्राप्त आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन बोर्ड में सुनिश्चित किया जा रहा है।
